राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट(टी.एस.पी.–नॉन टी.एस.पी.) प्रतियोगी परीक्षा, 2022

पात्रता जांच हेतु काउन्सलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु जारी आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. अभ्यर्थी काउन्सलिंग दिनांक एवं समय का विशेष ध्यान रखें। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउन्सलिंग से वंचित कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

2. विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फॉर्म दो प्रतियों में तथा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एक प्रति में प्रस्तुत करने है। विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फार्म की सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानीपूर्वक करें, यदि कोई कॉलम लागू नहीं हो तो ''लागू नहीं'' अंकित करें। साथ ही रू. 50/– का भा.पो.ऑ. बतौर शुल्क विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

3. काउन्सलिंग में उपस्थित होने के समय अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र, विवाह–विच्छिन्न प्रमाण पत्र (डिक्री), के मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित फोटोप्रतियां भी आवश्यक रूप से साथ लानी हैं।
4. सैकेण्डरी/सी.सैकेण्डरी/Diploma in occupational Theripist **की समस्त अंकतालिकाएं/प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री/ प्रोविजनल प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हैं। मूल दस्तावेजों के अभाव में आयोग को किसी भी अभ्यर्थी की काउन्सलिंग निरस्त करने का आयोग का पूर्ण अधिकार होगा।**

5. भूतपूर्व सैनिक (EX) श्रेणी के अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ एक्स–सर्विसमेन की डायरी एवं पेंशन/पी.पी.ओ. कार्ड संलग्न करें। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहे कार्मिक ग्रेच्युटी प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करें। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि सेवारत हैं तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.07.2021 के अनुसार सेना विभाग सेवानिवृति संबंधी एन.ओ.सी. भी अवश्य संलग्न करें। इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 16.08.16 के अनुसार यदि भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ प्राप्त करते हुए सेवा में नियोजित है तो उसका विस्तृत आवेदन पत्र में उल्लेख करते हुए आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें ।

6. परित्यक्ता महिला (DV) श्रेणी की अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ तलाक की डिक्री संलग्न करें। विधवा महिला (WD) श्रेणी की अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ उसके पति की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रामाणिक दस्तावेज जिसमें पति–पत्नी होने का उल्लेख हो की प्रति संलग्न करें।साथ ही ऑनलाईन आवदेन की अंतिम दिनांक/ संशोधन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करे। यदि अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह कर लिया गया है तो इसकी सूचना भी मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

7. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एम.बी.सी./ ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों का राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा न कि पति के नाम का। ओ.बी.सी./एम.बी.सी./ ई.डब्ल्यू.एसके जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किये हुये मान्य होंगे।

8. अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु आयोग की वेबसाईट पर जारी किये गये काउन्सलिंग पत्र, स्वयं का फोटो आई.डी. प्रूफ व 2 पासपोर्ट साईज के फोटो अवश्य लेकर आयें।काउन्सलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।

————————